रामकृष्ण vs कृष्णा

जो उसे देने के लिए अक्षम था या कपट या दुस्संधि द्वारा अभिप्राप्त की गई थी।"

यह कि प्रकरण में जो निर्णय पेश किया गया है उसमें स्वयं रामकिशन बागला के बयान नहीं हैं तथा प्रकरण में जो निर्णय प्रस्तुत किया गया है उक्त निर्णय में वाद दुकान खाली कराने से संबंधित है। यह कि उक्त निर्णय के साथ तथा निर्णय के साथ जो शपथपत्र पेश किया गया है उक्त वाद दुकान से संबंधित है और मालिकाना हक से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं तथा वाद में जिस संपत्ति को लेकर विभाजन का दावा पेश किया गया है उक्त संपत्ति से संबंधित सीमायें भी उक्त निर्णय से मेल नहीं खा रही।

उक्त विवेचन के आधार पर तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 34 से 38 में बताये गये प्रावधानों के तहत उक्त निर्णय सुसंगत न होने के कारण एवं शपथ पत्र के बयान साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 26 व 27 के अधीन सुसंगत न होने के कारण उक्त निर्णय व बयान रिकॉर्ड पर नहीं लिये जाते हैं तथा प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 14(3), (ए) सीपीसी का प्रार्थनापत्र एतद्द्वारा पोषणीय नहीं होने के कारण खारजि किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 03.10.2025 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश,
क्रम–1, कोटा

3-10-25 वकलाए फरीकैन हाजिर। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम हेतु दि० 6-10-25 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम–1, कोटा (राज.)